निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 49 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के माह 09/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 10/11/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री भानुप्रताप एवं श्री एस.एस. दरियाल, स.ले.प.अ., द्वारा दिनांक 23/06/2015 से 27/06/2015 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2006 से 05/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः काशीपुर खण्ड, रूद्रपुर खण्ड एव सतारगंज के कार्यों की समीक्षा।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2015-16	संलग्न						
2016-17							
2017-18							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	-	-	-	-	-
2015-16	4711	-	11907.51	9060.50	2847.01
2016-17	4711	-	4720.89	4283.35	437.54
2017-18	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, संचाई वभाग

प्रमुख अ भयन्ता

मुख्य अ भयन्ता (हल्द्वानी)

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) हल्द्वानी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ...........N.A.............. वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .......N.A...... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ......N.A.... से ....N.A..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ....N.A...... तथा ..........N.A.......... तक की गई।

5. फार्म 51: माह .......N.A....... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ₹ ..N.A.....

   भाग द्वितीय ₹ ....N.A.....

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .... के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम :	N.A.
(ख)	सामग्री क्रय :	
(ग)	नगद परिशोधन :	
(घ)	निक्षेप :	
(ङ)	भण्डार :	

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ₹ 1776.22 लाख व्यय को उपरांत भी अपूर्ण कार्य पर 21 माह से कोई प्रगति का न होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपोषित योजना AIBP के अन्तर्गतत उधमसिंह नगर के अंतर्गत निम्नलिखित 05 योजनाओं हेतु कुल 3322.19 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (वर्ष 2013-14) जिसके अनुसार केंद्रान्श एवं राज्यान्श की धनराशि क्रमशः 2989.97 लाख एवं 332.21 लाख थी। उक्त की प्राविधिक स्वीकृति समान धनराशि हेतु ही उसी वर्ष प्रदान की गयी थी।

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1.	06 लाईण्ड नहरों का निर्माण	330.96
2.	04 लाईण्ड नहरों का निर्माण	241.55
3.	के अन्तर्गत तुगड़िया बहल्ला एवं फीडर की लाईनिंग	1120.00
4.	बाजपुर में 400.00 मीटर नहरों का निर्माण	453.16
5.	जसपुर में 59.300 किमी. आफसुटो के निर्माण की योजना	1176.52
	कुल योग	3322.19

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2017) कि उपरोक्त कार्यों पर मार्च 2017 तक कुल व्यय 1776.22 लाख था जिसके बाद कार्य पर कोई भौतिक या वित्तीय प्रगति नहीं थी।

उक्त की ओर इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के उपरान्त उक्त योजना के सापेक्ष कोई आवंटन नहीं किया गया जिसके योजनाए PMKSY में प्रस्तावित की गयी है।

अतः योजना पर 1776.22 लाख व्यय उपरांत 21 माह से कार्य पर किसी भी प्रगति के न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1 अपूर्ण कार्यों पर 4009.06 लाख की लंबित देनदारी का सृजित होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा सी.एस.एस.आर. (पुनर्निमाण) के अंतर्गत कार्यालय के अंतर्गत आने वाले व भन्न जनपदों के अंतर्गत कुल 18 योजनाओं (संलग्कनुसार) हेतु कुल 17991.29 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (वर्ष 2013-14) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही उसी वर्ष प्रदान की गयी थी।
मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1), संचाई वभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2017) क उपरोक्त कार्यों पर कुल 12474.35 लाख व्यय करने (मार्च 2017) के उपरान्त भी न केवल कार्य अपूर्ण थे अ पतु उसके सापेक्ष 4009.06 लाख की लंबित देनदारी भी सृजित थी जब क वर्ष 2017-18 में उक्त पर कोई आवंटन या व्यय नहीं कया गया था।
उक्त की ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुए उत्तर में बताया गया क शासन द्वारा वर्ष 2016-17 तक अवमुक्त कुल धनरा श 12474.35 लाख को ही व्यय कया गया था तथा बाढ़ संबं धत अति संवेदनशील कार्यों को संपादित कराने के कारण 4009.06 लाख की देनदारी सृजित हुई। पुनः शासन द्वारा पुनः कोई धनरा श अवमुक्त न कए जाने के कारण योजना अवरूद्ध है। (अप्रैल 2017)
वभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यूं क वत्तीय स्वीकृति के नियमानुसार कार्य पर उतना ही व्यय कया जाना चाहिए जितनी धनरा श स्वीकृत/अवमुक्त की गयी हो।
अतः वभागीय लापरवाही से अपूर्ण कार्य पर 4009.06 लाख के सृजित देनदारी का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
NIL		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री दिनेश चन्द्र संह	मुख्य अ भयन्ता (कु.)	21/05/17 से 30/06/17
(ii)	श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी	मुख्य अ भयन्ता	18/07/17 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

N.A.

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
आ र्थक खण्ड-II